

फोटो

पेंशन का प्रकार
आवेदक के निवास क्षेत्र का विवरण

(i) केवल सुसंगत मदों को ही आयु सहित भरा जाय। विसंगत मदों को काट

दिया जाय।

- (ii) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जाना है।
15. क्या संबंधी/संबंधियों के कोई आय अथवा आय का कोई स्रोत है ? (हाँ/नहीं) : ☐ हाँ ☐ नहीं
16. क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है? (हाँ/नहीं) : ☐ हाँ ☐ नहीं
यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आय, तारीख जिससे लापता हो) : नाम :
..... आय, ... - -
☐ हाँ ☐ नहीं
17. क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया है (हाँ/नहीं), का विवरण ?
(क) पिता : आय : वर्ष
(ख) माता : वर्ष
- (ग) पति/पत्नी : वर्ष
18. मतदाता पहचान पत्र संख्या : राशनकार्ड संख्या :
19. श्रेणी : ☐ सामान्य, ☐ ओ.बी.सी., ☐ एस.सी., ☐ एस.टी., ☐ अल्प संख्यक
20. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मो. ले.ला.
21. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर : मो. ले.ला.
मो./ले.ला. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध :
22. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ :
(क) (i) मेरे पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है।
(ii) मैं रु. प्रति मास (सरकारी विभाग/निजी निकाय/संस्थान या अन्य स्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या आदेश संख्या के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/कर रही हूँ।
(ख) मैंने पूर्व में वार्धक्य/विधवा/परित्यक्तता/विशेष योग्यजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है। (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है)।
(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।
(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है।
(ङ) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(असंगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान :
दिनांक : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
या दायें/बायें अंगूठे का
निशान

23. **प्रमाण पत्र**

यह प्रमाण पत्र संसद या विधानसभा नगर परिषद/नगर पालिका बोर्ड निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद के प्रमुख या राज्य अथवा केन्द्र के राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी को गत वर्षों से जानता हूँ।
उसके पहचान के चिन्ह नीचे दिये जा रहे हैं।

1.

2.

यह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है।

इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि पेंशनर विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो पेंशनर का पेंशन द्वारा भरण पोषण करने का जिम्मा लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट के आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें।

